



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228704
CG-DL-E-03082021-228704

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2893]
No. 2893]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2021

का.आ. 3119(अ).—सं.का.आ. 372(अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और का.आ.477 (अ) तारीख 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श से विशेष न्यायाधीश, न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)-09 राउज एवेन्यू, न्यायालय परिसर, नई दिल्ली को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन धनशोधन के अपराध से निपटने के लिए और उसका विचारण करने के लिए तथा 2जी स्पैक्ट्रम स्कैम से संबंधित सभी मामलों के लिए 28 जनवरी, 2021 से विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

[फा. सं. के-11022/18/2021-एडी.ईडी]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2021

S.O. 3119(E).—Notwithstanding anything contained in notification published *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 and in supersession of the notification, published *vide* number S.O. 477 (E), dated the 31st January, 2020, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of High Court of Delhi, hereby designates the Court of Special Judge (Prevention of Corruption Act) (Central Bureau of Investigation)-09, Rouse Avenue Court Complex, New Delhi as Special Court for dealing with and trial of offence of the money laundering under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 for all matters relating thereto 2G Spectrum Scam with effect from the 28th January, 2021.

[F. No. K-11022/18/2021-Ad.ED]

VIVEK MISHRA, Under Secy.